[2022] 4 एस. सी. आर. 556

वेंकटेश @चंद्रा और ए. एन. आर. ईटीसी।

वी.

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1476-1477 2018 का)

अप्रैल 19,2022

[उदय उमेश ललित और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 27-तय की गई कानूनी स्थिति-एस के मापदंडों के अनुसार। 27 साक्ष्य अधिनियम, केवल इतना

ऐसी जानकारी जो इस प्रकार खोजे गए तथ्यों से स्पष्ट रूप से संबंधित है, उसे सिद्ध कहा जा सकता है-बयान का केवल वह हिस्सा जो केवल कुछ तथ्यों की खोज की ओर ले जाता है, उसे साक्ष्य में चिह्नित किया जा सकता है न कि पूरे बयान में-पिछले इतिहास के बारे में बयान में वर्णित सभी पहले के तथ्य जो आत्म-निहितार्थ की प्रकृति में हैं, एक पुलिस अधिकारी को दिए गए स्वीकारोक्ति के रूप में अस्वीकार्य होंगे।

अभ्यास और प्रक्रियाः अभियोजन एजेंसी को यू / साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 बयान के केवल उस हिस्से को दर्ज करती है जो तथ्य की खोज की ओर ले जाता है-पुलिस अधिकारी के सामने किए गए अभियुक्त के कबूलनामे को रखने की प्रथा जो है - अन्यथा साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित होने वालों को तुरंत रोका जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के बयानों में न्यायालय के दिमाग को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह करने की सीधी प्रवृत्ति हो सकती है।

प्रमाणः परिस्थितिजन्य साक्ष्य-कानूनी स्थिति -

जिन परिस्थितियों के आधार पर अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला बनाने वाली परिस्थितियां इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े।

अभियुक्त और को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को खारिज करना चाहिए अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना।

मीडिया ट्रायलः परिणाम और सीमाएँ-अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई विशेष चीज साक्ष्य का एक निर्णायक टुकड़ा होती है, इसे अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए न कि एक टीवी चैनल के माध्यम से-यदि कोई स्वैच्छिक मामला था।

बयान में कहा गया है कि मामले को न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा-सार्वजनिक मंच इस तरह की बहस या सबूत के लिए जगह नहीं है कि क्या

अन्यथा कानून के न्यायालयों का अनन्य क्षेत्र और कार्य है।

-

अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर ऐसी कोई बहस या चर्चा आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बराबर होगी।

आपराधिक कानूनः विचार करने में न्यायालय का दृष्टिकोण

अन्य अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता-भेदभाव, जमानत और मुकदमे की कार्यवाही के दौरान-जमानत आवेदन पर विचार करने के चरण सहित विभिन्न चरणों में दृष्टिकोण गुणात्मक रूप से अलग हैं-जमानत पर विचार करने के चरण में, प्राथमिक चिंता एक अभियुक्त की स्वतंत्रता और संभावित पूर्वाग्रह को संतुलित करने में तौलना है।

जिसे रिहा किए जाने की स्थिति में सामाजिक हित पर ध्यान दिया जा सकता है और इसलिए अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता पर विचार करना उचित और उचित होगा-लेकिन अंतिम मूल्यांकन के चरण में कि क्या दोषसिद्धि दर्ज की जाए या नहीं, मामले पर विशुद्ध रूप से इसके गुण-दोष पर विचार किया जाना चाहिए जब तक कि किसी गिरोह या समूह या संगठन की सदस्यता ही न हो।

संगठन स्वयं एक अपराध या अपराध के एक बढ़े हुए रूप के रूप में हो सकता है-सजा के चरण में, अन्य अपराधों में उसकी भागीदारी।

अपराध एक प्रासंगिक कारक हो सकता है बशर्ते कि अन्य मामलों में निष्कर्षित निर्णयों के रूप में संबंधित सामग्री को कानून के लिए ज्ञात तरीके से रिकॉर्ड पर लाया जाए-अन्य मामलों में स्थापित भागीदारी तब निश्चित रूप से इस सवाल से निपटने के लिए प्रासंगिक होगी कि क्या संबंधित आरोपी से सख्ती से या नरमी से निपटने की आवश्यकता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. यह पुलुकुरी में प्रिवी काउंसिल द्वारा मनाया गया था।

कोटय्या और ओआरएस। वी. राजा-सम्राट शब्द-"जिसके साथ मैंने ए को चाकू मारा" अस्वीकार्य थे क्योंकि वे सूचना देने वाले के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं थे। इस तर्क को लागू करते हुए, बयान के केवल उस हिस्से को साक्ष्य में चिह्नित किया जा सकता है जो केवल कुछ तथ्यों की खोज की ओर ले जाता है, न कि पूरी तरह से बयान का। तत्काल मामले पर आते हुए और प्रिवी काउंसिल द्वारा उजागर किए गए सिद्धांत और चित्रण के अनुसार "जहां हमने हत्या की" अभिव्यक्ति रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह, पिछले इतिहास के बारे में बयान में वर्णित सभी पहले के तथ्य जो आत्म निहितार्थ की प्रकृति के हैं, एक पुलिस अधिकारी को दिए गए स्वीकारोक्ति के रूप में अस्वीकार्य होंगे। सभी कथनों को उसी के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 18] [579-सी-एफ] [2022] 4 एस. सी. आर.

2. यह देखा जाना चाहिए कि अभियोजन एजेंसी की ओर से पूरा बयान दर्ज कराने की प्रवृत्ति है

बल्कि बयान के केवल उस हिस्से के बजाय जो तथ्यों की खोज की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया में, एक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति जो अन्यथा साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित होता है, रिकॉर्ड में अपनी जगह पाता है। इस तरह के बयानों में न्यायालय के दिमाग को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह करने की सीधी प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, निचली अदालत ने न केवल पूरे बयानों को निकाला, बल्कि उन पर भरोसा भी किया। एक अन्य परेशान करने वाली विशेषता जो देखी जा सकती है वह यह है कि अपीलार्थियों के स्वैच्छिक बयानों को एक डी. वी. डी. पर दर्ज किया गया था जिसे न्यायालय में चलाया गया था और जो विचारण न्यायालय के फैसले का आधार था। इस तरह का बयान फिर से एक पुलिस अधिकारी के सामने एक स्वीकारोक्ति की प्रकृति में है और पूरी तरह से प्रभावित होता है साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांत। यदि अभियुक्त स्वीकारोक्ति देने के इच्छुक थे, तो जाँच तंत्र संहिता की धारा 164 के संदर्भ में उचित कार्रवाई के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके स्वीकारोक्ति दर्ज करने की सुविधा प्रदान कर सकता था। उस मार्ग से कोई भी प्रस्थान स्वीकार्य नहीं है और इसे मान्यता नहीं दी जा सकती है और सबूत के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने उन डीवीडी स्टेटमेंट को प्रदर्शित करने में गलती की। वास्तव में, यह दोषसिद्धि के मुद्दे पर मामले को समाप्त करते समय उन पर भरोसा करने में आगे बढ़ा। [पारस 19 और 20] [579-एफ-एच; 580-ए-सी]

3. जिस बात ने स्थिति को और खराब कर दिया है, वह यह है कि जांच एजेंसी द्वारा डीवीडी पर दर्ज किए गए बयान

उदय टीवी द्वारा "पुट्टा मुट्टा" नामक एक कार्यक्रम में खेला और प्रकाशित किया गया था। उक्त डीवीडी को एक निजी टीवी चैनल के हाथों में जाने की अनुमति देना ताकि इसे एक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया जा सके

कर्तव्य की अवहेलना और न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अलावा और कुछ नहीं है। अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई विशेष चीज साक्ष्य का एक निर्णायक टुकड़ा होती है, इसे अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए न कि एक टीवी चैनल के माध्यम से। यदि कोई स्वैच्छिक बयान था, तो इस मामले को न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। सार्वजनिक मंच है

इस तरह की बहस या इस बात के प्रमाण के लिए कोई स्थान नहीं है कि अन्यथा न्यायालयों का अनन्य क्षेत्र और कार्य क्या है। वेंकटेश @चंद्र और ए. एन. आर. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर ऐसी कोई भी बहस या चर्चा।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

न्यायालय आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बराबर होंगे। [पैरा 21] [580-डी-एफ]

4. के चरण सहित कुछ चरणों में दृष्टिकोण

जमानत आवेदन पर विचार करना गुणात्मक रूप से अलग हो सकता है। जमानत पर विचार करने के चरण में, प्राथमिक चिंता किसी अभियुक्त की स्वतंत्रता और संभावित पूर्वाग्रह को संतुलित करना है जो उसे रिहा किए जाने की स्थिति में सामाजिक हित पर पड़ सकता है। इसलिए इस पर विचार करना उचित और उचित होगा।

अन्य अपराधों में शामिल होना। लेकिन अंतिम मूल्यांकन के चरण में, चाहे दोषसिद्धि दर्ज की जाए या नहीं, मामले पर विशुद्ध रूप से उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, जब तक कि किसी गिरोह या समूह या संगठन की सदस्यता ही अपराध नहीं हो सकती या अपराध का एक गंभीर रूप। पुनः, सजा सुनाने के स्तर पर, अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता एक प्रासंगिक कारक हो सकता है बशर्ते कि अन्य मामलों में निष्कर्षित निर्णयों के रूप में संबंधित सामग्री को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से रिकॉर्ड पर लाया जाए। अन्य मामलों में स्थापित भागीदारी तब इस सवाल से निपटने के दौरान निश्चित रूप से प्रासंगिक होगी कि क्या संबंधित आरोपी से सख्ती से या नरमी से निपटने की आवश्यकता है। [पैरा 23] [581-बी-ई]

शरद बर्डीहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य आकाशवाणी

1984 एससी 1622: [1985] 1 एससीआर 88; मुशीर खान @

बादशाह खान और अन्न। मध्य प्रदेश राज्य (2010)

2 एससीसी 748: [2010] 2 एस. सी. आर. 119-पर निर्भर।

पुलुकुरी कोट्य्या और ओआरएस। वी. राजा-सम्राट आकाशवाणी (34)

1947 पी. सी. 67-संदर्भित।

मामला कानून

संदर्भ

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[2010] 2 एससीआर 119

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1476-1477 2018 से।

उच्च न्यायालय के 04.09.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की आपराधिक अपील सं. 799 और 2012 की आपराधिक अपील सं. 637 में बैंगलोर में कर्नाटक सरकार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लक्ष्मीश एस. कामत, कौस्तुभ शुक्ला, सुश्री स्मृति आहूजा, सुश्री नैन्सी शमीम, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

निखिल गोयल, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. मूल अभियुक्त सं. द्वारा दायर विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें। 1 4 को 4 तारीख के सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है

सितंबर 2017 को उच्च न्यायालय ने आपराधिक संदर्भ मामले में 1 पारित किया

2010 की No.14 और 2011 की आपराधिक अपील No.799 और 2012 की आपराधिक अपील No.637 में।

2. मूल अभियुक्त Nos.5 से 9 तक के साथ अपीलार्थियों पर 2001 के सत्र मामले No.443 और 2004 के सत्र मामले No.55 में आई. पी. सी. 3 की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए ट्रायल कोर्ट 2 द्वारा मुकदमा चलाया गया था। अभियुक्त संख्या 9 की मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई। विचारण न्यायालय 2 ने अपने दिनांकित निर्णय द्वारा मूल अभियुक्त Nos.5 से 8 तक को बरी कर दिया, लेकिन अपीलार्थियों को आई. पी. सी. 3 की धारा 34 के साथ पठित धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया। आई. डी. 1 दिनांकित सजा के बाद के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने सभी अपीलार्थियों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई।

4. तत्काल कार्यवाही 1999 के अपराध No.874 से उत्पन्न होती है जो विजयनगर में दर्ज की गई 28.10.1999 की प्राथमिकी के अनुसार दर्ज की गई थी। पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु। डॉ. प्रकाश विष्णु द्वारा की गई रिपोर्टिंग

यह थाः

बेंगलुरु में कर्नाटक का उच्च न्यायालय

2 XXXIV अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय), केंद्रीय कारागार परिसर, बेंगलुरु 3 भारतीय दंड संहिता, 1860 वेंकटेश @चंद्र और ए. एन. आर.

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

" मैं, डॉ. प्रकाश विष्णु, एतद्वारा सूचित करता हूँ कि आज सुबह लगभग 9.15 बजे, मैं बोरिंग अस्पताल में अपने काम में भाग लेने के लिए हमेशा की तरह घर से निकला। उस समय मेरे पिता और माता दोनों ठीक थे। हमारे घर में केवल मैं, मेरे पिता और माता रह रहे हैं। हम में से हर एक अपने साथ अलग-अलग चाबी रख रहा है। मेरे पिता इंडियन एक्सप्रेस में इम्पोजर के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी माँ हमारे घर के पास एक नॉवेल्टी स्टोर चलाती हैं।

आज दोपहर जब मैं काम से घर लौटा तो रसोईघर से कुछ जली हुई बदबू आ रही थी। मैंने अपनी माँ को दो-तीन बार फोन किया। कोई जवाब नहीं आया। मैं खुद गया और दरवाजा खोला, रसोई में चूल्हा जल रहा था। मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और कमरे का दरवाजा खोला, जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला, तो मैंने अपनी माँ को खून से लथपथ देखा। पैन भी वहाँ लेटा हुआ था, इस उम्मीद में कि वह जीवित है, मैंने पुनर्जीवन की कोशिश की। लेकिन उसके दिल की धड़कन बंद हो गई (मुझे नाड़ी नहीं मिली)। पूरा शरीर नीला पड़ गया था। जीभ फैला दी गई थी। मैं बहुत हैरान था और बहुत जोर से चिल्लाया। फिर पड़ोसी लोग आए और वहाँ इकट्ठा हुए।
मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया उन दोषियों का पता लगाएं जिन्होंने मेरी मां की हत्या की है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कल मेरे पिता रात की ड्यूटी पर थे और वे वापस आ गए थे।

6.00 एएम "।

तदनुसार, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

5. जाँच के दौरान, माँ, बहन के बयान और

मृतक के पति को दर्ज किया गया था, जिन्होंने कहा था कि मृतक आम तौर पर कुछ सोने के गहने पहनता था जो लेन-देन के हिस्से के रूप में चोरी किए गए थे। पूछताछ रिपोर्ट, जिसे बाद में Exh.P-2 के रूप में चिह्नित किया गया मृतक के शरीर पर किए गए परीक्षण में कान पर चोटें भी दिखाई दीं, जो संभवतः झुमके निकालते समय लगी थीं।

6. डॉ. एस. बी. पाटिल द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, जिसे बाद में एक्सएच के रूप में चिह्नित किया गया। पी-14 ने संकेत दिया कि मृतक को 13 चोटें आई थीं। चिकित्सकीय राय के अनुसार, लोहे की सड़क से 1 से 10 चोटें संभव थीं, जबकि चाकू से 11-13 चोटें लगी थीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित बाहरी चोटें इस प्रकार थीं: -

" 1. दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर घाव 7 सेमी ऊपर

दाहिने कान का माप 3 सेमी x 1 सेमी हड्डी गहरी;

2. दाहिनी पार्श्विका पर चोट से 2.5 सेमी ऊपर घाव

सं. (1) हड्डी की गहराई 5 से. मी. x 2 से. मी. मापना।

3. अंतर पार्श्विक क्षेत्र पर घाव 2 सेमी से बाईं ओर

चोट (2) माप 2 सेमी x 0.5 सेमी। 4. 5 सेमी x 3 सेमी x खोपड़ी गुहा को मापने वाले बाएं पार्श्विक क्षेत्र पर घाव, जिसके माध्यम से मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल रहा है। यह बाएं कान से 10 सेंटीमीटर ऊपर स्थित है।

5. बाएं कान से 4 से. मी. ऊपर 10 से. मी. x 3 से. मी. x खोपड़ी गुहा को मापने वाला घाव जो फ्रंट टू पैरिटल टेम्पोरल में स्थित है।

क्षेत्र।

6. अस्थायी क्षेत्र में बाएं कान से 1 सेमी ऊपर घाव

4 सेमी x 1 सेमी x खोपड़ी गुहा को गहराई से मापना।

8. 3 मापने वाले मध्य पश्चवर्ती क्षेत्र में घाव सेमी x 1 सेमी x हड्डी गहरी।

9. दाहिने पार्श्विका-पश्चिका क्षेत्र पर घाव स्थित है

7 दाहिने कान के पीछे और ऊपर सेंटीमीटर।

10. 1. 5 मापने वाले बाएं पश्चवर्ती क्षेत्र पर घाव

सेमी x 1 सेमी x हड्डी गहरी।

11. दाहिने कान के लोब्यूल पर 1 सेमी x 0.5 मापने वाला घाव

से. मी. x 0.5 से. मी.

12. 1 सेमी x 0.5 मापने वाले बाएं कान के लोब्यूल पर घाव

से. मी. x 0.5 से. मी.

13. बाएँ अँगूठे के पामर पहलू पर घाव

3 से. मी. x 2 से. मी. x मांसपेशियों की गहराई मापने वाला फलानीक्स।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आगे कहा गया हैः

" 3. खोपड़ी के परावर्तन पर खोपड़ी की खोपड़ी के बाएं सामने की हड्डी, बाएं आंशिक हड्डी, बाएं अस्थायी हड्डी, और पूरे खोपड़ी पर रक्त बहिर्मुखी हो जाता है।

ओसीपीटल हड्डी कई टुकड़ों और रक्त में टूट गई

फ्रैक्चर साइट पर बहिर्मुखी। मध्य कपाल की हड्डियाँ और पश्च कपाल फोस कई टुकड़ों और रक्त में टूट गया

फ्रैक्चर साइट पर बहिर्मुखी।

4. झिल्ली-फ्रैक्चर साइटों पर घाव।

5. मस्तिष्क पूरे आधार और सतह पर सबड्यूरल और सबराक्नोइड रक्तस्राव से ढका हुआ है और बाईं ओर आंशिक रूप से बाहर निकल जाता है।

एक तरफ "। एसएच @चंद्र और एएनआर। ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

घटना के 15 महीने से अधिक समय बाद, अपीलार्थी थे

उक्त आई. एम. ई. के संबंध में पुलिस द्वारा 01.02.2001 पर रखा गया। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, स्वैच्छिक बयान

अभियुक्तों को जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। ये

एक्सएच के रूप में चिह्नित यूआर कथन। ई-ट्रायल में पी-21, पी-22, पी-23 और पी-24, जैसा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में निकाला गया थाः

प्रथम अभियुक्त ने अपना स्वैच्छिक बयान दिया है

इसके नीचेः

" कृष्णडू और महिलाएँ लक्ष्मी, वेंकट लक्ष्मी,

बच्चों से खाना और पानी की भीख मांगने की आड़ में पद्मा ने मूडलपाल्या में एक घर का दरवाजा खोला और चली गई।

दूर। हम सभी तुरंत घर के अंदर चले गए। मेरा।

देवर वेंकटेश उर्फ रमेश घर पर इंतजार कर रहा था।

घर का दरवाज़ा। हमने महिला को घसीटा और ले गए जो

वह उक्त घर में मौजूद था और उसे घर के अंदर ले गया। मैंने उसे मुँह बंद करते हुए पकड़ा, मुनिकृष्ण ने उस पर हमला किया

चिकाहनुमा ने अपने सिर के पीछे अपनी छड़ी से चाकू से उस महिला के कान में छेद किया, मैंने एक जोड़ी कान की अंगूठी (वोले), सोने की चूड़ियाँ छीन लीं जो उसके पास थीं।

उक्त महिला के शरीर पर पहना था। मुनिकृष्ण ने दो छीन लिए।

गले से जंजीरों से, नल्लाथिम्मा ने एक अंगूठी और एक अंगूठी ले ली

चांदी की पैर की चेन की जोड़ी और उसने पैर की चेन लक्ष्मी को सौंप दी, जो डोड्डाहनुमा की पत्नी है। हमने फेंक दिया है।

उसमें जल निकासी। मैंने अपने द्वारा चोरी किए गए गहने राजा बाजार में एक दुकान को बेच दिए हैं। अगर मुझे वहाँ ले जाया जाता है, तो मैं दिखाऊंगा जहाँ हमने हत्या की थी, और हम दिखाएँगे

जहाँ हमने चाकू और छड़ी फेंकी है। और

हम उस दुकान को दिखाएंगे जिसमें हमने आभूषण बेचे थे और उक्त वस्तुएँ प्राप्त करेंगे ", और तदनुसार उन्हें उक्त वस्तुएँ मिल गईं।

एक्स. पी.-21 में मजार के माध्यम से।

द. 2 अभियुक्त ने अपना स्वैच्छिक बयान दिया है इसके नीचेः

" कृष्णडू और महिलाएँ लक्ष्मी, वेंकट लक्ष्मी,

बच्चों से खाना और पानी की भीख मांगने की आड़ में पद्मा ने मूडलपाल्या में एक घर का दरवाजा खोला और चली गई।

दूर। हम सभी तुरंत घर के अंदर चले गए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

देवर वेंकटेश उर्फ रमेश घर पर इंतजार कर रहा था। घर का दरवाज़ा। हम उक्त घर में मौजूद महिला को घसीट कर घर के अंदर ले गए। मेरे बड़े भाई ने उसका मुँह बंद करते हुए पकड़ लिया, और मैंने उसके सिर के पीछे तक मेरे पास मौजूद छड़ी से हमला किया, चिक्काहनुमा ने चाकू से उसके कान में छेद किया।

" कृष्णडू और महिलाएँ लक्ष्मी, वेंकट लक्ष्मी, बच्चों से खाना और पानी की भीख मांगने की आड़ में पद्मा ने मूडलपाल्या में एक घर का दरवाजा खोला और चली गई। हम सभी तुरंत घर के अंदर चले गए।

वेंकटेश उर्फ रमेश घर के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था। हम उक्त घर में मौजूद महिला को घसीट कर घर के अंदर ले गए। मैंने पकड़ लिया।

उसका मुँह बंद करते हुए, मुनिकृष्ण ने उसके सिर के पीछे की ओर अपने पास की छड़ से हमला किया, चिक्काहनुमा ने चाकू से उस महिला के कान में छेद किया, वेंकटेश उर्फ चंद्र ने एक जोड़ी कान की अंगूठी (वोल), सोने की चूड़ियाँ छीन लीं जो उक्त महिला के शरीर पर पहनी हुई थीं। मुनिकृष्ण ने उसकी गर्दन से दो जंजीरें छीन लीं, और मैंने एक अंगूठी और एक जोड़ी चांदी की पैर की जंजीर ली और पैर की जंजीर लक्ष्मी को सौंप दी, जो डोड्डाहनुमा की पत्नी है। हमने लोहे की छड़ और चाकू को वेंकटेश @चंद्र और ए. एन. आर. द्वारा खड़ी बाड़ पर फेंक दिया है।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

उसमें जल निकासी के किनारे। मैंने अपने द्वारा चोरी किए गए गहने एक दुकान को बेच दिए हैं। राजा बाजार में। अगर मुझे वहाँ ले जाया जाता है, तो मैं उस जगह को दिखाऊंगा जहाँ हमने हत्या की थी, और हम

हम उस जगह को दिखाएँगे जहाँ हमने चाकू और छड़ी फेंकी है। और हम उस दुकान को दिखाएंगे जिसमें हमने आभूषण बेचे थे और उक्त वस्तुओं को प्राप्त करेंगे ", और तदनुसार उन्होंने एक्स. पी.-23 में मजार के माध्यम से उक्त वस्तुओं को प्राप्त किया।

चौथे अभियुक्त ने अपना स्वैच्छिक बयान दिया है

30 .

इसके नीचेः

" मैं, पद्मा, वेंकटलक्ष्मी और कृष्णडू एक घर की पहचान करने आए। एक दिन पानी मांगने की आड़ में दरवाजा खुला तो तुरंत वेंकटेश, मुनिकृष्ण, नल्लथिम्मा, वेंकटेश उर्फ रमेश, कृष्णडु जैसे पुरुष घर के अंदर घुसे, हम उस जगह से चले गए। इसके बाद पुरुष लोग वापस आए और हमें बताया कि हमने उक्त घर में एक महिला पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी और उक्त महिला द्वारा उसके शरीर पर पहने गए गहने छीन लिए, और नल्लथिम्मा ने चांदी की पैर की चेन की एक जोड़ी दी जो उक्त घर से लाई गई थी। इसके अलावा, उन्होंने मेरे खर्च की राशि का भी भुगतान किया। मैं मुझे दी गई पैर की चेन पहनती हूं, उसने कहा कि अगर उसे वहां ले जाया जाता है तो वह उस घर को दिखाएगी जिसे उसने पहचाना और पुरुषों को दिखाया। मैंने आपके सामने नाल्लथिम्मा द्वारा दी गई चांदी की पैर की चेन पेश की है "और उन्होंने उसे सौंप दिया।

महाज़ार के माध्यम से Ex.P.24 "पर

8. 6.2.2001 पर, अपीलार्थियों के स्वैच्छिक वक्तव्य थे

जाँच अधिकारी द्वारा एक डीवीडी पर रिकॉर्ड किया गया, जिसे बाद में एक्सएच के रूप में चिह्नित किया गया।

मुकदमे में पी-25 से पी-28। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त डी. वी. डी. के संबंध में चर्चा उसके निर्णय के पैरा 35 में है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त डीवीडी पर जो रिकॉर्ड किया गया था, उसे उदय टीवी द्वारा "सुत्त मुट्टा" नामक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया गया था। 9. यह कहा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति के पास से एक सोने की अंगूठी और एक जोड़ी चांदी की पायल बरामद की गई थी

नं. 4-गिरफ्तारी के समय लक्ष्मीम्मा उर्फ लक्ष्मी। अपने स्वैच्छिक बयानों की रिकॉर्डिंग के सात दिन से अधिक समय बाद, यानी 07.02.2001 और 08.02.2001 पर, अपीलकर्ताओं में से तीन ने कथित तौर पर जाँच दल को सत्यनारायण ज्वैलरी [2022] 4 एस. सी. आर. नामक एक आभूषण की दुकान पर ले गए।

एक D.Janardhana शेट्टी के स्वामित्व वाला हाट, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित आभूषण बरामद किए गए:

07.02.2001 पर

अभियुक्त नं. 1-तीन सोने की चूड़ियों की बरामदगी

1 .

वेंकटेश उर्फ और सोने के कान की एक जोड़ी।

चंद्रा

अभियुक्त संख्या 2-एक सोने की चेन की बरामदगी

2 .

मुनिकृष्ण की दो पंक्तियाँ-मंगल और सोना

उर्फ कृष्ण

हार।

08.02.2001 पर

13 सोने और चांदी की बरामदगी

अभियुक्त नं. 3

1 .

लेख।

नल्लाथिम्मा

10. <ID1 पर, आरोपी नंबर 2 मुनिकृष्ण कथित तौर पर जांच दल को एक जल निकासी के पास एक खुली जगह पर ले गए, जिसके परिणामस्वरूप एक लोहे की छड़ और एक चाकू बरामद हुआ (जिसे एमओ-16 के रूप में चिह्नित किया गया था और मुकदमे में एम. ओ.-17) एक पंच गवाह की उपस्थिति में, जिसका नाम मंजूनाथ था, मुकदमे में पी. डब्ल्यू.-12 के रूप में जाँच की गई। विचारण न्यायालय द्वारा की गई ऐसी वसूली के संबंध में सुसंगत भाग निम्नानुसार था:

" 36. अपराध करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की जब्ती के संबंध में साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने एक की जांच की है

मंजूनाथ उपरोक्त मामले में पीडब्लू-12 के रूप में गवाह के रूप में जो लोहे की छड़ और चाकू की जब्ती के समय मौजूद थे, ने कहा अभियुक्त द्वारा अपराध करने के लिए और जब्ती के समय मजार पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के रूप में उपयोग किया गया है। उक्त साक्ष्य को देखने के बाद दूसरे अभियुक्त ने

M.O.16 और 17 पांचवीं क्रास शांतावेरी गोपाल गौड़ा नगर, मूडलपाल्या में जल निकासी के पास एक खुली जगह के किनारे स्थित खाई से लोहे की छड़ और चाकू को पुलिस ने जब्त कर लिया था, और उस समय एक्स. पी.-11 के अनुसार मजार भी आयोजित की थी। उन्होंने एक्स. पी.-11 (ए) को अपने हस्ताक्षर के रूप में पहचाना और कहा कि M.O.16 और 17 वे हथियार हैं जो आरोपी मुनिकृष्ण द्वारा निकाले गए थे।

11. एमओ-16 और एमओ-17 को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया और दोनों वस्तुओं को मानव रक्त से सना हुआ पाया गया। हालांकि, एफ. एस. एल. रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसे बाद में एक्स. एच. के रूप में चिह्नित किया गया।

पी-10, रक्त समूह वेंकटेश @चंद्र और ए. एन. आर। ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

निर्धारित नहीं किया जा सका और परीक्षण अनिर्णायक थे। बरामद किए गए सोने के आभूषणों को किसी भी परीक्षण पहचान परेड के अधीन नहीं किया गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन में मृतक के रिश्तेदारों द्वारा उनकी पहचान की गई थी।

12. जाँच पूरी होने के बाद, अभियुक्तों को मुक़दमे के लिए भेजा गया और 2001 के सत्र मामले No.443 में निचली अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया।

और 2004 का 55। अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों की गवाही पर भरोसा किया और इसने 29 दस्तावेजों को चिह्नित किया, अर्थात्, एक्सएच। पी-1 से पी-39 और उत्पादित भौतिक वस्तुएं एमओ-1 से एमओ-17। गवाहों की गवाही का सार यह थाः -

पीडब्लू-1, मृतक के पति श्री विष्णु ने पदच्युत किया कि

ए.

जब वह घर लौटा तो उसने मृतक को खून से लथपथ पाया और उसी रात उसे पता चला कि सोने की मंगलिया चेन, सोने का हार, तीन सोने की चूड़ियां, एक अंगूठी, चांदी के पायल आदि गायब थे जो मृतक पहनता था।
पीडब्लू-2, मृतक की बहन शारदामनी ने समर्थन नहीं दिया

बी.

अभियोजन पक्ष का मामला कि वह पुलिस स्टेशन गई थी और सोने के आभूषणों की पहचान की थी। उसे घोषित किया गया था

शत्रुतापूर्ण।
पीडब्लू-3, पीडब्लू-7 और पीडब्लू-22 पूछताछ के पंच गवाह थे।

सी.

रिपोर्ट Exh.P-2 जबकि पीडब्लू-4, आर. मोहन कुमार स्पॉट महज़र एक्सएच के पंच गवाह थे। पी-3। पीडब्लू-5, बाबू गिरफ्तारी के समय आरोपी नंबर 4 के व्यक्ति से बरामद सोने की अंगूठी और चांदी की पायल की खोज और जब्ती का पंच गवाह था। पीडब्लू-6, रुद्र प्रसाद मजहर Exh.P-6 के पंच गवाह थे, जिसके संदर्भ में अभियुक्त संख्या। 1 4 ने जांच दल को मृतक के घर ले जाया था जहां कथित तौर पर हत्या की गई थी

प्रतिबद्ध।

पीडब्लू-10, सुरेश गांवकर, निदेशक, फोरेंसिक प्रयोगशाला,

डी.

कालबुर्गी ने पदच्युत किया कि उन्होंने एमओ-16 लोहे की छड़ की जांच की थी

और एमओ-17 चाकू और उसे मानव रक्त से सना हुआ पाया था और उसने एक्सएच के अनुसार राय दी थी।

पी-10।

पीडब्लू-11 और पीडब्लू-13 जब्ती के पंच गवाह थे

ई.

अभियुक्त सं. के कहने पर आभूषण। 1 , 2 और 3, जबकि [2022] 4 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीडब्लू-12 मंजूनाथ बरामदगी के पंच गवाह थे

एमओ-16 लोहे की छड़ और एमओ-17 चाकू।

एफ. पीडब्लू-14, के. एच. मंजूनाथ, प्रोफेसर, फोरेंसिक मेडिसिन,

एक्सएच के लेखक के हस्ताक्षर को साबित करने के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल की जांच की गई। पी-14 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

डॉ. एस. डी. पाटिल के रूप में जिन्होंने पोस्टमार्टम किया

जाँच अब नहीं थी।

पीडब्लू-18, श्रीमती. मृतक की माँ जयम्मा भी असफल रहीं।

जी.

संबंधित बताए गए आभूषणों की पहचान करने के लिए

मृतक और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत।

पीडब्लू-23, डी. जनार्दन शेट्टी, सोने के आभूषण प्राप्तकर्ता

एच.

अभियुक्त नं. 1 वसूली के बारे में 4 को पदच्युत किया गया 7 और 8 फरवरी 2001 को प्रभावी, जैसा कि में सारणीबद्ध किया गया है

ऊपर अनुच्छेद 9।

पीडब्लू-24, एन. चलपति, पुलिस उपाधीक्षक,

आई.

जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान उठाए गए कदमों के बारे में बयान दिया जिसमें अपीलार्थियों के स्वैच्छिक बयान दर्ज करना भी शामिल है। पी-21 से पी-24। उन्होंने आगे कहा कि 06.02.2001 की शाम को, उन्हें मिल गया था

अपीलार्थियों के बयान वीडियो के माध्यम से दर्ज किए गए

एक चार्ट Exh.P-29 प्रस्तुत किया जिसमें उस गिरोह के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में विवरण दिया गया था जिसमें अपीलार्थी कथित रूप से सदस्य थे। हालांकि, इसमें कोई दस्तावेज नहीं हैं। आरोप पत्र, बयान या आदेशों का रूप था

उत्पादित किया। यहां तक कि धारा 313 के तहत अपीलार्थियों की जांच में चार्ट Exh.P-29 के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया था।

कोड से।

13. निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के खिलाफ मामला स्वीकार कर लिया

अपीलार्थी अर्थात अभियुक्त संख्या। 1 4 अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक पर निर्भर रहनामेंट्स एक्सएच। पी-21, पी-22, पी-23 और पी-24 और डीवीडी एक्सएच। पी-25 से

इस मुद्दे पर प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार थीः

" 31. इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान देना उचित है कि यदि आरोपी संख्या 1,2 और 3 ने एम. ओ.-6 से 10 या अन्य वस्तुओं को पीडब्लू-23 को नहीं बेचा था, तो पीडब्लू-23 अदालत के समक्ष बयान क्यों दे रहा था कि आरोपी ने उक्त वस्तुओं को पीडब्लू-23 को बेच दिया था।

उसे। अगर वह गलत सबूत देना चाहते थे या वह KATESH @CHANDRA और ANR को बताना चाहते थे।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

अभियुक्त को परेशान करने के इरादे से सबूत दें, तो उनके खिलाफ घृणा, ईर्ष्या और दुर्भावना होनी चाहिए। हालाँकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने घृणा का ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है,

ईर्ष्या या दुर्भावना-अभियुक्त के खिलाफ इच्छा या उस संबंध में कोई सबूत। इसके अलावा, उनके इस बयान को देखने पर कि पीडब्लू-1 ने पहचान की है कि उक्त वस्तु उनकी पत्नी की है, और पीडब्लू-23 ने कहा है कि आरोपी संख्या 1,2 और 3 ने उन्हें उक्त वस्तु बेच दी है, और फिर उनके अनुरोध पर उन्होंने उसे वापस कर दिया है, और यह कि पीडब्लू-11 उस समय मौजूद था, और जब उसे जब्त किया गया था तब पीडब्लू-12 रंगास्वामी मौजूद थे।

उक्त लेख, और इसी तरह, एक्स. पी.-24 के स्वैच्छिक बयान के अनुसार चौथे आरोपी लक्ष्मीम्मा को ज्वैलर्स से बाहर कर दिया गया

तस्करी करके एक जोड़ी अंगूठी (वोल) और एक जोड़ी पैर की चेन और एक साड़ी पहने हुए, उसने उक्त वस्तुओं को पुलिस को सौंप दिया है। उन्होंने अपने स्वैच्छिक बयान में इन कारकों को स्वीकार किया। इसके अलावा, उक्त वस्तुओं को गवाह पी. डब्ल्यू.-5 बाबू के सामने एक्स. पी.-5 में मजार के माध्यम से जब्त कर लिया जाता है। उक्त बाबू ने भी अपने साक्ष्य में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि

अपने थाने में एक महिला सिपाही के माध्यम से पुलिस बनाई गई

उसके लिए एक और साड़ी पहनने की व्यवस्था, और सामान से बाहर

उसके द्वारा चोरी की गई साड़ी, कान की अंगूठी (वोल) और पैर की चेन जब्त कर ली गई और इस मामले से संबंधित एम. ओ. 5 पैर की चेन है। अभियुक्त लक्ष्मी ने कहा है कि उसकी सहयोगी नल्लाथिम्मा ने चोरी की और उक्त वस्तुओं को उसे सौंप दिया, और उसने अपने हस्ताक्षर के रूप में एक्स. पी.-5 (ए) की पहचान की। अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने कहा है

कि उस दिन इंस्पेक्टर चलपति ने उसे स्टेशन पर बुलाया था, जिसमें आरोपी को स्टेशन में दिखाया गया था कि उसने डकैती की है, कुछ सामान मेज पर रखे गए थे और उन्हें देखकर उसने कहा कि उसने मजार का संचालन किया है और आगे कहा कि उसकी पुनः जांच के दौरान एम. ओ. 5 और अन्य सामान केवल आरोपी लक्ष्मी से जब्त किए गए थे।

32. अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष किसी भी तरह से यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त वस्तुएं उनके कब्जे में कैसे आईं और उन्होंने यह साबित नहीं किया है कि उक्त वस्तुएं उनकी हैं, और रखे गए लेखों के बारे में राज्य और स्वैच्छिक बयान और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार सौंपा जाना न्यायसंगत और उचित है और न्यायालय को भी ऐसा ही करना होता है।

33. इसके अलावा, लक्ष्मीम्मा वेंकटेश उर्फ चंद्र,

मुनिकृष्ण, डोड्डाहनुमा (चिन्नाप्पा और डोड्डाहनुमा जो [2022] 4 एस. सी. आर.

कहा जाता है कि वे इस मामले में आरोपी नहीं हैं) स्वैच्छिक रूप से एक्स. पी.-25 में डी. वी. डी. में बयान, जिसमें उन्होंने इस अपराध के बारे में बताया है।

35. उक्त डी. वी. डी. को देखने पर। (Ex. P-25), अभियुक्त Nos.l, 2 और 4 ने स्वैच्छिक बयान दिए थे, और इसमें पाए गए व्यक्ति इस माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त संख्या 1,2 और 4 हैं, और उनके द्वारा दिए गए बयान को देखने पर, वे वे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वाभाविक रूप से बिना किसी दबाव या धमकी के अपना बयान दिया है। उनके रूप को देखने पर उसी को रिकॉर्ड करते समय, उनके पास किसी भी तनाव या सदमे की स्थिति नहीं थी, यह वह बयान देगा जो स्वाभाविक रूप से दिया गया है। यदि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था या यदि उक्त बयान पुलिस द्वारा जबरन प्राप्त किया गया था और दर्ज किया गया था, तो वे अपने धारा 313 के बयान में भी ऐसा ही कह सकते थे। लेकिन, ऐसा कोई जवाब दिए बिना, वे व्यक्तियों की तस्वीरों वाले डी. वी. डी. और सी. डी. को देखना भी पसंद नहीं करते हैं।

घटना के अधीन और सुट्टा मुट्टा कार्यक्रम के डी. वी. डी. ने भी आरोपी द्वारा भाग लिया। उनके द्वारा दिए गए बयान पर ध्यान देने पर कि वे इस संबंध में कुछ भी कहना पसंद नहीं करते हैं, यह पता चलता है कि अगर उन्होंने इसे देखा होता तो उन्हें अपनी पहचान बनानी चाहिए थी और उन्हें दिए गए बयान के तथ्यों के बारे में कुछ जवाब देना चाहिए था। लेकिन, उन्होंने कहा है कि वे सी. डी. और डी. वी. डी. भी नहीं देखेंगे और वे कुछ नहीं देंगे।

जवाब में, इसके पीछे का इरादा सही तथ्यों को स्वीकार न करना होगा।

14. ट्रायल कोर्ट ने अंततः निष्कर्ष निकालाः

" 52. आरोपी नंबर 1 से 3 तक द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों के आधार पर, चौथे आरोपी लक्ष्मीम्मा ने कहा है कि वह पानी का अनुरोध करने की आड़ में अन्य लोगों के साथ घर गई थी।

मृतक के आवासीय घर और काठेश @चंद्र और ए. एन. आर. का दरवाजा खोला गया।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

घर, और फिर आरोपी घर के अंदर घुस गया और उसकी हत्या कर दी, और हालाँकि उसने सीधे हत्या में भाग नहीं लिया है, उसके अनुसार, वह और उसका समूह। इसलिए, मैं 1 से 4 तक के मुद्दों का सकारात्मक जवाब देता हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि आरोपी संख्या 1,2 और 3 ने हमला किया था

उसके खिलाफ और उसकी हत्या कर दी, और सोने और चांदी के गहने भी चुरा लिए जो उसने अपने शरीर पर पहने थे। यह न्यायालय ढाडुपल्ल्य गिरोह द्वारा किए गए जघन्य अपराध का मुकदमा चलाने और निर्णय लेने के लिए गठित किया गया था, और चलपति नामक निरीक्षक ने मुकदमे के लिए दर्ज सभी मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उनसे चोरी की वस्तुओं को बरामद किया, और यहां तक कि आरोपी द्वारा दिखाए गए स्थान पर भी मजार चलाया, और इस तरह जांच में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद, उन्होंने मामलों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि इन सभी मामलों में कुछ खामियां हो सकती हैं, कई जांच अधिकारियों ने अपने स्थानांतरण के कारण या किसी अन्य कारण से जांच शुरू की है, और हालांकि उक्त परिस्थितियों में कुछ खामियां हो सकती हैं, पुलिस निरीक्षक श्री। चलपति और उनकी टीम आरोपी और उनके गिरोह को गिरफ्तार करके और अदालत की कार्रवाई के अधीन, और यह अदालत कार्रवाई की सराहना करेगी उसे ले लिया। "

15. सजा सुनाने के चरण में मामले पर विचार करते हुए,

न्यायालय ने अपने दिनांकित 30.09.2010 आदेश में कहाः -

" 15. पहली बार अभियुक्त का पता लगाने वाले जाँच अधिकारी चलपति के माध्यम से अभियोजन पक्ष ने एक विस्तृत सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रस्तुत की कि दंडुपाल्य समूह के व्यक्तियों द्वारा किस तरह का अपराध किया गया था। इसके अलावा, सांख्यिकीय रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मामले में आरोपी मुनिकृष्ण उर्फ वेंकटस्वामी ने विभिन्न सीमाओं के भीतर 54 अलग-अलग मामलों में पूरी तरह से भाग लिया

कर्नाटक राज्य के थानों और उनमें से उसने 28 डकैतों और हत्या के मामलों में भाग लिया, और उनमें से उसने 50 हत्या के अपराध किए, और यह कि आरोपी वेंकटेश उर्फ चंद्र

उन्होंने 45 अलग-अलग मामलों में भाग लिया है, और उनमें से उन्होंने

28 डकैतों और हत्या के मामलों में भाग लिया, और यह कि आरोपी नल्लथिम्मा ने 28 डकैतों और हत्या के मामलों में भाग लिया और आरोपी लक्ष्मीम्मा ने हत्या के 18 मामलों में भाग लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाने का तर्क दिया है

अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा, और

अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यंत जघन्य है। अपराध, यह भी प्रार्थना की जाती है कि मृत्युदंड लगाया जाए

अपराध सबसे दुर्लभतम मामलों में से एक है।

***

***

***

18. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार

कुल 111 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकांश मामलों में अभियुक्तों को रिहा कर दिया जाता है

आजीवन कारावास से शुरू होने वाले अन्य दंड भी उनके खिलाफ थोपा गया जो वे झेल रहे हैं। इसके अलावा,

इन सभी मामलों को देखते हुए, अभियुक्त की कार्यप्रणाली है -

कि अभियुक्त सहायता लेने का पेशा कर रहे हैं

उनके समूह में महिलाएं, उनके माध्यम से घरों को चिह्नित करती थीं (

ऐसे घर जिनमें कमजोर व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और महिलाएँ हैं

रहना) और अनुरोध करने की आड़ में खुद को पेश किया

पानी और भोजन के लिए, और उसी भेष में वे खुल जाएँगे घर के दरवाजे पर, गिरोह के पुरुष लोग अतिक्रमण करेंगे

घर और महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और कमजोर व्यक्तियों पर हमला करना

लोहे की छड़ से, चाकू से गर्दन काटें, गर्दन बांधें

धागे से कसकर उन्हें सांस रोककर मार दें, दूर ले जाएं

उनके शरीर से सोने के गहने और अन्य गहने

उनका घर, उन्हें बेच दें और ऐसा करने से उनका जीवन व्यतीत करें। तब से

वर्ष 1991 से 2000 तक एक ही गिरोह ने उक्त कृत्य को अंजाम दिया है।

प्रस्तुत सांख्यिकीय रिपोर्ट में उन्होंने पूरी तरह से 74 को प्रतिबद्ध किया है हत्याएँ, उनमें से 34 पुरुष और 40 महिलाएँ हैं और वे हैं

अलग-अलग तरीकों से हत्या की गई। वह भी, इसमें कहा गया है कि 23 पुरुष और 21

बैंगलोर शहर में ही महिलाओं की हत्या की जाती है। बचाव पक्ष के वकील

उसी पर सवाल नहीं उठाया है "।

16. 2010 का आपराधिक संदर्भ मामला संख्या 14 और आपराधिक अपील

799 विचारण के निर्णय से उत्पन्न 2011 और 2012 के 637 को वर्तमान में निम्नलिखित निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया गया थाःजैसे कि ऊपर बताया गया है। के कुछ प्रासंगिक पैराग्राफ

आयन थेः -

" 12. इसके अलावा, निचली अदालत ने अपराध को नोट करके साबित कर दिया

आरोपी Nos.1 से 4 के खिलाफ न केवल जघन्य था, बल्कि आरोपी KATESH @CHANDRA और ANR भी था।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

नं. 1 4 ने उक्त अपराध को पूरी क्रूरता के साथ किया और वे इसी तरह के आरोपों से जुड़े 111 मामलों में विभिन्न अदालतों के समक्ष मुकदमे का सामना कर रहे थे और अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया था, ट्रायल कोर्ट ने इसे उचित पाया।

चारों अभियुक्त व्यक्तियों को मृत्युदंड देने के लिए।

31. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष द्वारा इन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया हैः

अपीलार्थी/अभियुक्त के कहने पर मृतक से संबंधित लापता आभूषणों की वसूली Nos.1 से 4 तक। हथियारों की पुनर्प्राप्ति। लोहे की छड़-M.O.16 और चाकू एम. ओ.

17 अपीलार्थियों के कहने पर घटना स्थल के पास /

अभियुक्त नं. 1 4 तक।

अपीलार्थियों/अभियुक्तों का आचरण सं। 1 इंगित करने में 4 तक

घटना स्थल से बाहर निकलें।

54. विद्वत वकील के इस तर्क को प्रस्तुत करते हुए कि Ex.P6 की सामग्री और पीडब्लू-6 के साक्ष्य का आरोपी को दोषी ठहराने का प्रभाव नहीं है, क्योंकि घटना स्थल का पता जांच अधिकारी को आरोपी नंबर 1 की गिरफ्तारी से बहुत पहले था, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि मामले में कुछ भी नहीं है।

यह सुझाव देने के लिए पूरा सबूत कि आरोपी Nos.1 से 4 व्युत्पन्न है

जाँच के माध्यम से घटना स्थल का ज्ञान

अधिकारी या किसी अन्य माध्यम से। अभियुक्त द्वारा इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्हें घटना स्थल के बारे में जांच अधिकारी या किसी अन्य गवाह के माध्यम से पता चला था। दूसरी ओर, पीडब्लू. 6 के साक्ष्य की सामग्री के साथ

पुलिस और पंच को घटना स्थल दिखाया गवाह, परिणामस्वरूप, इस साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक बनाया जाता है जिससे एक और साक्ष्य स्थापित होता है।

अभियुक्त Nos.1 से 4 तक की संलिप्तता के प्रमाण में परिस्थिति

उनके खिलाफ आरोप लगाया गया अपराध।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक साथ या समान प्रकटीकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के लिए अभिशाप नहीं हैं। तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभी चार अभियुक्त व्यक्तियों ने समान खुलासे किए थे

हथियारों को छिपाने, अपराध स्थल की जानकारी और मृतक की बिक्री या आभूषणों से संबंधित। यह साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी से तथ्यों की खोज हुई है जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त Nos.1 से 4 और विचाराधीन अपराध के बीच सांठगांठ को स्थापित करते हैं।

70. ..... हमने पीडब्लू-1 और अन्य गवाहों के साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की है जिन्होंने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक की हत्या के दौरान उसके द्वारा पहने गए सोने के गहने गायब पाए गए थे। यह भी सिद्ध होता है कि

अभियोजन पक्ष ने कहा कि वही सामान अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया था। अभियुक्त ने मृतक के उक्त आभूषणों के कब्जे के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उपरोक्त परिस्थितियों के साथ, हथियारों की बरामदगी से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि मृतक पर पाई गई चोटें एम. ओ. के कारण हुई थीं। 16 और 17. इसके अलावा, घटना के स्थान की ओर इशारा करने में आरोपी का ज्ञान और आचरण परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करता है जो मृतक की डकैती और हत्या के कार्य में आरोपी की संलिप्तता को स्थापित करता है। इसलिए अभियोजन पक्ष ने

उपरोक्त सभी परिस्थितियों को निर्णायक रूप से साबित कर दिया जो हमारी राय में अभियुक्त संख्या के अपराध की ओर ले जाती हैं। 1 4 सभी उचित संदेह से परे। विद्वान वकील द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया

इसलिए अपीलार्थी-अभियुक्त वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं। 71. हाथ में मामले में, अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 396 के तहत आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने माना है कि आरोपी के खिलाफ साबित हुए तथ्य आईपीसी की धारा 396 के तहत अपराध हैं। हमारी राय में यह निष्कर्ष इसके विपरीत है

आईपीसी की धारा 396 के प्रावधान। भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अनुसार, हत्या के साथ डकैती के अपराध का गठन करने के लिए, पांच या अधिक व्यक्तियों में से किसी एक को डकैती करते समय हत्या करनी चाहिए। इसलिए, पांच या अधिक व्यक्तियों की भागीदारी के तहत प्रभार बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

आईपीसी की धारा 396। तत्काल मामले में, कोई भी गवाह कातेश @चंद्रा और ए. एन. आर. नहीं है।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

हत्या या डकैती के कार्य में पाँच या अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति या भागीदारी के बारे में बात की है। भले ही अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 396 के तहत आरोप तय किए गए थे, लेकिन निचली अदालत ने अभियुक्तों को इस आधार पर बरी कर दिया है कि इन अभियुक्तों के खिलाफ अपराध के तत्वों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

7 और 8. ट्रायल कोर्ट ने इस आशय का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है

कि अभियुक्त Nos.1 से 4 के अलावा, अन्य अभियुक्त भी

विचाराधीन अपराध के आयोग में भाग लिया। अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियाँ, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, केवल आरोपी संख्या की संलिप्तता को स्थापित करती हैं। 1 4 तक। इसलिए, अभियुक्त संख्या के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की गई। 1 आई. पी. सी. की धारा 396 के तहत 4 और उनके खिलाफ दी गई परिणामी मौत की सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, अभियुक्त सं. 1 धारा 396 आर/डब्ल्यू के तहत 4 तक। 34 भारतीय दंड संहिता और मृत्यु

उनके खिलाफ लगाई गई सजा को दरकिनार किया जाना चाहिए।

73. भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत, न केवल व्यक्ति

जो वास्तव में चोट पहुँचाता है, लेकिन उसके सहयोगी भी कानून की कल्पना द्वारा कार्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे। अभिव्यक्ति "यदि कोई व्यक्ति, डकैती करने या करने के प्रयास में, स्वेच्छा से चोट पहुँचाते हुए, ऐसा व्यक्ति और ऐसी डकैती करने या करने का प्रयास करने में संयुक्त रूप से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति,

डकैती। जैसा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे स्थापित किया है कि आरोपी आईडी1 से 4 ने मृतक के आभूषणों की डकैती की है और डकैती करने में भी उसकी मौत हुई है, हमारा मानना है कि आरोपी संख्या। 1 अभियुक्त संख्या 4 आई. पी. सी. की धारा 394 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी हैं। 1 इसलिए 4 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 394 के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। 74. हमने सजा पर अभियुक्त के विद्वान वकील और विद्वान एस. पी. पी. को भी सुना है। अपीलार्थियों/अभियुक्तों के लिए विद्वान वकील सं। 1 4 का निवेदन है कि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी की तारीख से पहले ही 16 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में हैं और गिरफ्तारी के समय, सभी अभियुक्त कम उम्र के थे और इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के हित में, उनके द्वारा पहले से की गई अभिरक्षा की अवधि को [2022] 4 एस. सी. आर. के लिए दिए जाने वाले कारावास के लिए निर्धारित किया जाए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 394 के तहत अपराध।

75. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हम कोई नहीं पाते हैं

इस मामले में उदार दृष्टिकोण रखने का अच्छा कारण है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि अभियुक्तों ने अत्यधिक अपमानजनक तरीके से एक भयानक और वीभत्स हत्या की है। सबूतों में साबित तथ्यों से पता चलता है कि आरोपी ने एक निर्दोष वृद्ध महिला की हत्या केवल उसके कीमती सामान को लूटने के लिए की थी। यह स्पष्ट रूप से लाभ के लिए हत्या का मामला है। जिस तरह से अभियुक्तों ने पीड़ित को चोट पहुँचाई है, वह अभियुक्त की विकृत और शैतानी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि आरोपी ऐसे ही अपराधों में शामिल थे जिनके लिए उन्हें या तो दोषी ठहराया गया है या वे सजा काट रहे हैं। इसलिए, हम अपीलार्थियों के प्रति नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं पाते हैं। दूसरी ओर, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत निर्धारित अधिकतम सजा आरोपी को दी जाए, क्योंकि इस मामले की तथ्य स्थिति के लिए आवश्यक है कि आरोपी को दी गई सजा एक निवारक के रूप में काम करे। यह भी देखा गया है कि इस अदालत के समक्ष अभियुक्तों के खिलाफ कई मामले लंबित हैं जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त असहाय अकेली महिलाओं पर हमला कर रहे हैं और बिना कोई दया दिखाए अमानवीय रूप से चोट पहुँचाकर भयानक हत्याएं कर रहे हैं

पीड़ितों के लिए जो भी हो। इसलिए, हमारा विचार है कि अभियुक्त इस न्यायालय के हाथों किसी भी सहानुभूति के योग्य नहीं हैं। इन सभी कारणों से, भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत निर्धारित अधिकतम सजा अपीलकर्ताओं/आरोपी संख्या 1 से 4 तक को दी जानी चाहिए। अतः निम्नलिखित आदेश दिया गया है:

आदेश

1. 2011 की आपराधिक अपील Nos.799 और 2012 की 637 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाना और उसके परिणामस्वरूप मौत की सजा

XXXIV एडल द्वारा पारित सजा। 2001 के S.C.No.443 और 2004 के S.C.No.55 में सिटी सिविल एंड सेशन जज (स्पेशल कोर्ट), सेंट्रल जेल, परप्पना अग्रहारा, बेंगलुरु को अलग कर दिया गया है।

वेंकटेश @चंद्रा और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

धारा 433-ए में निहित प्रावधान के लिए और बशर्ते कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 या धारा 433 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए गए हों। 5. 2010 का आपराधिक संदर्भित मामला संख्या 14 उपरोक्त आदेश के संदर्भ में खारिज कर दिया गया है।

राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता। 18. इससे पहले कि हम मामले के गुण-दोष पर विचार करें, वर्तमान मामले की कुछ विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए जो हमें काफी परेशान करने वाले लगे हैं। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 27 से 30 में अपीलार्थियों के स्वैच्छिक बयान निकाले। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्ष्य अधिनियम * की धारा 27 के मापदंडों के अनुसार केवल इतनी जानकारी जो इस प्रकार खोजे गए तथ्यों से स्पष्ट रूप से संबंधित है, को साबित किया जा सकता है। पुलुकुरी कोटय्या और अन्य में प्रिवी काउंसिल द्वारा उक्त प्रावधान के विस्तार और दायरे के साथ-साथ इसकी प्रयोज्यता पर विचार किया गया था। वी. राजा-सम्राट 3 निम्नानुसारः

" 10. धारा 27, जो कलात्मक रूप से शब्दबद्ध नहीं है, प्रदान करती है पूर्ववर्ती धारा द्वारा लगाए गए निषेध का अपवाद, और पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कुछ बयानों को साबित करने में सक्षम बनाता है। इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए और उसके बाद उतनी जानकारी दी जानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से संबंधित हो।

4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। 5 आकाशवाणी (34) 1947 पीसी 67।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप एक तथ्य का पता चलता है, कुछ गारंटी दी जाती है जिससे कि जानकारी सही थी, और तदनुसार साक्ष्य में सुरक्षित रूप से दी जा सकती है; लेकिन स्पष्ट रूप से स्वीकार्य जानकारी की सीमा उस तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए जिसके लिए ऐसी जानकारी का पता चला है। संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है।

आम तौर पर इस धारा को तब लागू किया जाता है जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति छिपाने के किसी स्थान से कोई वस्तु, जैसे कि शव, हथियार या गहने पेश करता है, जिसे उस अपराध से जुड़ा हुआ कहा जाता है, जिसके लिए सूचना देने वाला आरोपी है। क्राउन के लिए श्री मेगॉ ने तर्क दिया है कि ऐसे मामले में "तथ्य की खोज" उत्पन्न भौतिक वस्तु है, और यह कि कोई भी जो जानकारी उस वस्तु से स्पष्ट रूप से संबंधित है, उसे साबित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण पर एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी है कि शरीर

प्रस्तुत किया गया वह व्यक्ति है जिसकी उसके द्वारा हत्या कर दी गई है, कि उत्पादित हथियार वह है जिसका उपयोग उसने हत्या करने में किया था, या कि उत्पादित गहने डकैती में चोरी हो गए थे, सभी स्वीकार्य होंगे। यदि यह धारा 27 का प्रभाव है, तो दो पूर्ववर्ती धाराओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में बहुत कम सार रहेगा।

पुलिस के सामने या पुलिस हिरासत में व्यक्तियों द्वारा किए गए इकबालिया बयान।

यह प्रतिबंध संभवतः विधानमंडल के इस डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में एक व्यक्ति को अनुचित दबाव के प्रयोग से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रतिबंध हटाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह बाद में पेश किए गए किसी उद्देश्य से संबंधित जानकारी के स्वीकारोक्ति में शामिल करना है, तो यह मान लेना उचित लगता है कि पुलिस की प्रेरक शक्तियां अवसर के बराबर साबित होंगी, और व्यवहार में प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा। निर्माण के सामान्य सिद्धांतों पर उनके अधिपतियों का मानना है कि

एस. 26 , एस द्वारा जोड़ा गया। 27 , धारा के सार को रद्द करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। उनके लॉर्डशिप्स के दृष्टिकोण में यह इलाज करना गलत है

" खंड के भीतर पाया गया तथ्य "उत्पादित वस्तु के समतुल्य के रूप में; खोजा गया तथ्य उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु उत्पन्न की जाती है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान, और दी गई जानकारी को इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। उत्पादित वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि "मैं मैं अपने घर की छत में छुपा कर एक चाकू लाऊंगा "वेंकटेश @चंद्र और ए. एन. आर. ने नहीं कहा।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

एक चाकू की खोज की ओर ले जाता है; कई चाकू खोजे गए थे बरसों पहले। इससे इस तथ्य की खोज होती है कि एक चाकू है

सूचना देने वाले के घर में उसकी जानकारी के लिए छिपा दिया गया, और यदि

चाकू का उपयोग आयोग में किया गया साबित होता है

अपराध, पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान के लिए

जिन शब्दों को जोड़ा जाए "जिनके साथ मैंने ए को चाकू मारा" ये शब्द हैं

अस्वीकार्य क्योंकि वे चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं

सूचना देने वाले के घर में "।

(जोर दिया गया)

जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा देखा गया था कि शब्द-"जिसके साथ मैं

चाकू ए "अस्वीकार्य थे क्योंकि वे सूचना देने वाले के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं थे। इस तर्क को लागू करते हुए, केवल वह हिस्सा कथन जो केवल कुछ तथ्यों की खोज की ओर ले जाता है

साक्ष्य में चिह्नित किया जा सकता है न कि पूरी तरह से बयान में। तत्काल मामले पर आते हुए और प्रिवी काउंसिल द्वारा उजागर किए गए सिद्धांत और चित्रण के अनुसार, आरोपी नंबर 1 के बयान में से, "इटैलिक" में मुद्रित शब्दों को छोड़कर केवल निम्नलिखित भाग ही स्वीकार्य होगा।

और सबूत में चिह्नित किया जा सकता हैः

" ..... अगर मुझे वहाँ ले जाया जाता है, तो मैं उस जगह को दिखाऊंगा जहाँ हम प्रतिबद्ध थे

हत्या, और हम उस जगह को दिखाएँगे जहाँ हमने फेंक दिया है

चाकू और छड़ी। और हम उस दुकान को दिखाएंगे जिसमें हमने बेचा था।

आभूषण "।

"जहाँ हमने हत्या की" यह अभिव्यक्ति नहीं आनी चाहिए।

रिकॉर्ड में। इसी तरह, पिछले इतिहास के बारे में बयान में वर्णित सभी पूर्व तथ्य जो आत्म-निहितार्थ की प्रकृति के हैं, एक पुलिस अधिकारी को दिए गए स्वीकारोक्ति के रूप में अस्वीकार्य होंगे। सभी

कथन अर्थात्, एक्सएचएस। पी-21 से पी-24 को तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए।

19. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने बार-बार एक प्रवृत्ति पाई है

अभियोजन एजेंसी की ओर से पूरा बयान दर्ज कराने में

बल्कि बयान के केवल उस हिस्से के बजाय जो तथ्यों की खोज की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया में, एक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति जो अन्यथा साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित होता है, रिकॉर्ड में अपनी जगह पाता है। इस तरह के बयानों में न्यायालय के दिमाग को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह करने की सीधी प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, निचली अदालत ने न केवल पूरे बयानों को निकाला, बल्कि

उन पर भी भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. दूसरी परेशान करने वाली विशेषता जो हमने देखी है वह यह है कि अपीलार्थियों के स्वैच्छिक बयानों को एक डीवीडी पर रिकॉर्ड किया गया था जो अदालत में चलाया गया था और ट्रायल कोर्ट के फैसले का आधार बना था जैसा कि पैराग्राफ Nos.34 और उसके फैसले के 35 से ध्यान देने योग्य है। इस तरह का बयान फिर से एक पुलिस अधिकारी के सामने स्वीकारोक्ति की प्रकृति में है और पूरी तरह से साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित है। यदि अभियुक्त स्वीकारोक्ति देने के इच्छुक थे, तो जाँच तंत्र संहिता की धारा 164 के संदर्भ में उचित कार्रवाई के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके स्वीकारोक्ति दर्ज करने की सुविधा प्रदान कर सकता था। उस मार्ग से कोई भी प्रस्थान स्वीकार्य नहीं है और इसे मान्यता नहीं दी जा सकती है और सबूत के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने उन डीवीडी स्टेटमेंट Exh.P-25 से 28 को प्रदर्शित करने में गलती की। वास्तव में, यह दोषसिद्धि के मुद्दे पर मामले को समाप्त करते समय उन पर भरोसा करने में आगे बढ़ा।

21. जिस बात ने स्थिति को और खराब कर दिया है, वह यह है कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड किए गए डीवीडी पर उक्त बयान चलाए गए थे

और उदय टीवी द्वारा "पुट्टा मुट्टा" नामक एक कार्यक्रम में प्रकाशित किया गया। उक्त डी. वी. डी. को एक निजी टी. वी. चैनल के हाथों में जाने की अनुमति देना ताकि इसे चलाया जा सके और एक कार्यक्रम में प्रकाशित किया जा सके, कर्तव्य की उपेक्षा और न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अलावा और कुछ नहीं है। अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई विशेष चीज साक्ष्य का एक निर्णायक टुकड़ा होती है, इसे अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए न कि एक टीवी चैनल के माध्यम से। यदि कोई स्वैच्छिक बयान था, तो इस मामले को न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। सार्वजनिक मंच इस तरह की बहस या इस बात के प्रमाण के लिए जगह नहीं है कि अन्यथा न्यायालयों का अनन्य अधिकार क्षेत्र और कार्य क्या है। अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर ऐसी कोई बहस या चर्चा आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बराबर होगी।

22. अंतिम परेशान करने वाली विशेषता यह तथ्य है कि चार्ट एक्श। पी-29 को उस गिरोह की गतिविधियों के प्रमाण के रूप में लिया गया था जिससे अपीलार्थी कथित रूप से संबंधित थे। चार्ट को प्रदर्शित करने के अलावा, कोई विवरण या

दस्तावेज़ या तो आरोप पत्र या आदेश के रूप में, बयानों को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जाता था। यदि अभियोजन पक्ष चाहता था कि न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दे कि अन्य मामले थे जिनमें अभियुक्त शामिल थे, तो संबंधित आरोप पत्रों को निर्णय या दोषसिद्धि के आदेशों सहित पर्याप्त विवरणों के साथ रिकॉर्ड पर पेश किया जाना चाहिए था। केवल एक चार्ट को वेंकटेश @चंद्र और ए. एन. आर. की भागीदारी के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

अन्य अपराधों में अभियुक्त या तो दोषसिद्धि या सजा के स्तर पर। लेकिन उस कारक को विचारण न्यायालय ने गंभीरता से लिया जैसा कि सजा के आदेश के पैराग्राफ 15 से 18 से स्पष्ट है। वास्तव में, इस तरह की संलिप्तता को निचली अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के कारणों में से एक माना गया था। इस तरह की प्रथा को कभी भी मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

23. हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जमानत आवेदन पर विचार करने के चरण सहित कुछ चरणों में दृष्टिकोण गुणात्मक रूप से अलग हो सकता है। जमानत पर विचार के चरण में, प्राथमिक चिंता एक अभियुक्त की स्वतंत्रता और संभावित पूर्वाग्रह को संतुलित करने में तौलना है जो हो सकता है

उसे रिहा किए जाने की स्थिति में सामाजिक हित पर विचार किया जाता है। इसलिए अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता पर विचार करना उचित और उचित होगा। लेकिन इस पर

अंतिम निर्धारण का चरण चाहे दोषसिद्धि अभिलिखित की जाए या नहीं, मामले पर विशुद्ध रूप से उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जब तक कि

किसी गिरोह या समूह या संगठन की सदस्यता स्वयं एक अपराध या अपराध के एक बढ़े हुए रूप के रूप में हो सकती है। पुनः, सजा सुनाने के स्तर पर, अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता एक प्रासंगिक कारक हो सकता है बशर्ते कि अन्य मामलों में निष्कर्षित निर्णयों के रूप में संबंधित सामग्री को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से रिकॉर्ड पर लाया जाए। अन्य मामलों में स्थापित भागीदारी तब इस सवाल से निपटने के दौरान निश्चित रूप से प्रासंगिक होगी कि क्या संबंधित आरोपी से सख्ती से या नरमी से निपटने की आवश्यकता है।

24. हम चार्ट एक्सएच से गुजरे हैं। पी-29। उक्त चार्ट के अनुसार, जहां तक वर्तमान अपीलार्थियों का संबंध है, उन्हें एक और अपराध में शामिल कहा गया था जिसने 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) डायरी No.24079 को जन्म दिया है और हमारे समक्ष तत्काल अपील के साथ सूचीबद्ध किया गया था। यह मामला अभी भी हमारे सामने विचाराधीन है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट के साथ जो बात भारी पड़ी, वह थी कथित इसी तरह की कई गतिविधियों में कथित गिरोह के अन्य सदस्यों की संलिप्तता, जिसके समर्थन में अपीलार्थियों के इकबालिया बयानों के अलावा कोई ठोस सामग्री नहीं थी।

25. गुण-दोष पर आते हुए, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और जैसा कि उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ में कहा है

31 इसके निर्णय में, अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को घर लाने के लिए चार परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था। उक्त चार परिस्थितियों के समर्थन में और उनसे जुड़ी सामग्री से निपटने से पहले, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामलों से संबंधित सिद्धांतों को सुविधा के लिए कहा जाना चाहिए। विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, [2022] 4 एस. सी. आर. के निर्णय में निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान दिया गया।

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम में न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य ",

तब से सिद्धांतों का लगातार पालन किया जा रहा हैः

" 151. उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम प्रकृति, चरित्र और प्रकृति पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे।

आपराधिक मामले में आवश्यक आवश्यक सबूत जो इस पर निर्भर करता है

केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य। सबसे बुनियादी और बुनियादी

इस न्यायालय का निर्णय हनुमंत बनाम है। मध्य राज्य

प्रदेश [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343 1952 एस. सी. आर. 1091 1953 सी. आर. आई. एल. जे.

129] . इस मामले का समान रूप से पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में बाद के फैसलों में लागू किया गया है, उदाहरण के लिए,

तुफैल (उपनाम) सिम्मी बनाम के मामले। उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश [(1969) 3 एस. सी. सी 198 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 55]

और रामगोपाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी 625: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656] महाजन ने जो कहा, उसे निकालना उपयोगी हो सकता है।

जे. ने हनुमंत मामले में [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343: 1952

एस. सी. आर. 1091 1953 सी. आर. आई. एल. जे 129]:

अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि सभी को बाहर कर दिया जाए। परिकल्पना लेकिन एक ने साबित करने का प्रस्ताव रखा। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य किया गया होगा।

अभियुक्त द्वारा "। " " "

इस प्रकार, पहला सिद्धांत यह है कि अपराध के निष्कर्ष के आधार पर परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

26. हम अब परिस्थितियों से निपट सकते हैं इस पर विचार करने के लिए कि क्या

कोसेक्यूशन उन्हें स्थापित करने में सक्षम रहा है।

27. मामले में प्रारंभिक रिपोर्टिंग डॉ. प्रकाश ने की थी।

मृतक का बेटा। उस रिपोर्टिंग में कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया था

1984 एससी 1622 = (1984) 4 एससीसी 116 वेंकटेश @चंद्र और एएनआर।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

गायब गहने। हालाँकि, जाँच रिपोर्ट में कान के ललाट पर चोटों का उल्लेख किया गया था जिन्हें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Exh.P 14) में विस्तार से निर्दिष्ट किया गया था। उक्त पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 11 और 12 चोटें काफी स्पष्ट हैं। इसके अलावा, घटना के तुरंत बाद दर्ज मृतक के पति पीडब्लू-1 के बयान में सामान्य आभूषणों का उल्लेख किया गया था जो थे

गायब है। इसलिए यह माना जा सकता है कि

मृतक के व्यक्ति से सोने और चांदी के गहने गायब होना मृतक की हत्या के साथ-साथ था। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में पेश की गई पहली परिस्थिति इस प्रकार अच्छी तरह से स्थापित थी।

28. अब हम अपीलार्थी के कहने पर लापता आभूषणों की बरामदगी के संबंध में दूसरी परिस्थिति पर विचार कर सकते हैं। यह.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थियों को घटना के 15 महीने बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके स्वैच्छिक बयान एक्सएचएस। पी-21,22,23 और 24 को 01.02.2001 पर दर्ज किया गया था। ये स्वैच्छिक बयान अपीलार्थियों की ओर से उस दुकान को दिखाने की इच्छा का संकेत देते हैं जिसमें उनके द्वारा आभूषण बेचे गए थे। हालांकि, संबंधित दुकान से वास्तविक वसूली केवल 7 और 8 फरवरी को की गई थी, यानी स्वैच्छिक विवरण के 7 दिनों से अधिक समय बाद। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जाँच यंत्र को आरोपी को संबंधित दुकान पर ले जाने में इतना समय क्यों लगा। इसके अलावा, दुकान का मालिक कोई रजिस्टर या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका कि कोई भी अपीलार्थी किसी विशेष दिन उसकी दुकान पर आया था और संबंधित गहने बेच दिया था। इसलिए हमें केवल उनके मौखिक दावों पर चलना चाहिए, न कि किसी भी दावे पर।

समकालीन अभिलेख। आभूषणों का विवरण, आभूषणों का वजन और दुकान के मालिक द्वारा अपीलार्थियों को दी गई कीमत और इस तरह के अन्य विवरण किसी भी अभिलेख से सामने नहीं आते हैं। इसका निश्चित रूप से मतलब है कि आभूषणों को जौहरी द्वारा अपने व्यवसाय के नियमित क्रम में नहीं खरीदा गया था और उसे इस बात से अवगत होना चाहिए कि आभूषण चोरी की संपत्ति थे। फिर भी, आभूषणों को जौहरी द्वारा 15 महीने से अधिक समय तक उसी स्थिति में रखा गया था, जो फिर से काफी सुसंगत नहीं है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसी चोरी की गई संपत्ति की प्रकृति को जल्द से जल्द बदलने का प्रयास किया जाएगा। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आभूषणों की बरामदगी के बाद भी, जांचकर्ता द्वारा कोई परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था नहीं की गई थी

मशीनरी। मृतक द्वारा पहने जाने वाले आभूषण सामान्य आभूषण थे जिन्हें एक महिला पहनती थी। तीन गवाहों में से (2022) 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. अब हम तीसरी परिस्थिति की ओर मुड़ते हैं जो लोहे की छड़ एम. ओ.-16 और चाकू एम. ओ.-17 की बरामदगी के बारे में है। बयानों के रूप में अपीलार्थी इंगित करते हैं कि इन वस्तुओं को उनके द्वारा जल निकासी के किनारे खड़ी बाड़ के पास फेंका गया था। कहा जाता है कि वस्तुओं को 15 महीने बाद बरामद किया गया था और फिर भी रासायनिक परीक्षक के विश्लेषण और रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त रक्त के दाग थे कि यह था

मानव रक्त। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उद्देश्यों पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। 15 महीनों की इस अवधि के दौरान, संबंधित क्षेत्र में कई मौकों पर बारिश हुई होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे कीट और अन्य जीवित प्राणी होंगे जो इन वस्तुओं पर मौजूद रक्त के दाग को खा सकते हैं। यह विश्वास करना असंभव है कि 15 महीनों के बाद भी भौतिक वस्तुओं में अभी भी रक्त के धब्बे होंगे। रासायनिक परीक्षण में यह भी पाया गया कि रक्त के धब्बे मानव रक्त के हैं, लेकिन रक्त समूह और अन्य विवरणों का विश्लेषण करने में विफल रहे जो मृतक से जुड़े हो सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वस्तुओं को माना जाता था 15 महीने पहले ऐसी जगह पर फेंक दिया गया था जो सभी के लिए सुलभ था और प्रकृति की अनिश्चितताओं के लिए खुला था, हम उक्त परिस्थिति को साबित होने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे विचार में, इस परिस्थिति को अभियुक्त के खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है।

30. हम चौथी परिस्थिति को साबित करने के लिए मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष घटना स्थल के बारे में अनजान था

लेकिन यह तथ्य कि अपीलार्थी उस घर की ओर इशारा कर सकते हैं जहाँ घटना हुई थी, उस स्थान के बारे में उनकी ओर से जानकारी दिखा सकता है

घटना।

31. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित चार परिस्थितियों में से, दूसरी और तीसरी परिस्थितियों को छोड़ दिया जाना चाहिए।

यह देखते हुए विचार करें कि क्या परिस्थितियाँ वेंकटेश @चंद्र और ए. एन. आर. की एक श्रृंखला बनाती हैं।

ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

साक्ष्य इतना पूर्ण है कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ता है और क्या वे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को खारिज करते हैं। इस विश्लेषण में, हम उस दृष्टिकोण से निर्देशित हैं जिसे ऐसे मामलों में अपनाया जाना चाहिए जैसा कि मुशीर खान @बादशाह खान और अन्न में देखा गया है। वी. मध्य प्रदेश राज्य '। फैसले के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

" 39. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, किसी को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला की तलाश करनी चाहिए न कि टूटे हुए और बिखरे हुए लिंक पर जो एक पूर्ण अनुक्रम नहीं बनाते हैं। इस न्यायालय ने पाया कि यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते समय, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य "अनुमानित साक्ष्य" है और ऐसे मामले में प्रमाण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

परिस्थितियाँ।

40. मुख्य न्यायाधीश फ्लेचर मौल्टन ने एक बार कहा था कि "सबूत का मतलब कठोर गणितीय सूत्र नहीं है" क्योंकि "यह असंभव है"। हालांकि, सबूत का मतलब ऐसा सबूत होना चाहिए जो एक

एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए समझदार व्यक्ति। परिस्थितिजन्य

दूसरी ओर, साक्ष्य की तुलना लॉर्ड कॉलरिज द्वारा की गई है "जैसे कि एक गोस्मर धागा, हल्का और हवा की तरह ही अप्रासंगिक। और सबसे अच्छे स्पर्शों के साथ गायब हो सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस तरह के साक्ष्य कुछ हिस्सों में मजबूत हो सकते हैं लेकिन यह बड़े अंतराल और किराए भी छोड़ सकते हैं जिनके माध्यम से आरोपी भाग सकता है। इसलिए, कुछ नियमों को न्यायिक रूप से विकसित किया गया है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना के लिए।

41. मेरे विचार से, पहला नियम यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से किसी भी कानूनी निष्कर्ष के आधार के रूप में कथित तथ्यों को होना चाहिए

स्पष्ट रूप से किसी भी उचित संदेह से परे साबित हुआ। यदि दोषसिद्धि टिकी रहती है

केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर, इसे एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिससे आरोपी का कोई पलायन न हो। इस तरह के परिस्थितिजन्य साक्ष्य से उत्पन्न होने वाले तथ्य ऐसे होने चाहिए कि वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार न करें। (राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम देखें। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर 1963 एस. सी. 74: (1963) 1

क्रि एल. जे. 70])

7 (2010) 2 एससीसी 748।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. दूसरा सिद्धांत यह है कि साक्ष्य की श्रृंखला में सभी कड़ियों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन्हें अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साक्ष्य को बाहर करना चाहिए।

(यू. पी. बनाम की स्थिति देखें। डॉ. रवींद्र प्रकाश मित्तल [(1992) 3 एस. सी. सी. 300: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 642: 1992 क्राई एलजे 3693], एससीसी पी। 309 , पैरा 20.)

43. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते समय, हमें अशरफ अली बनाम में निर्धारित सिद्धांत को याद रखना चाहिए। राजा सम्राट [21 सीडब्ल्यूएन 1152: 43 आई. सी. 241] (पैरा 14 पर आई. सी.) कि जब किसी आपराधिक मामले में निर्दोषता की धारणा और किसी अन्य धारणा के बीच संघर्ष होता है, तो पहले वाले को प्रबल होना चाहिए।

44. अगला सिद्धांत यह है कि के अनुमान को सही ठहराने के लिए

अपराध, दोषारोपण तथ्य अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं।

45. जब हत्या के आरोप को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर साबित किया जाना है, जैसा कि इस मामले में है, तो अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुमान की एक प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। निबरन चंद्र राय बनाम। राजा। सम्राट [11 सी. डब्ल्यू. एन. 1085] यह माना गया था कि एक अभियुक्त

बंदूक चलाने के तुरंत बाद व्यक्ति के हाथ में बंदूक पाई गई और जिस स्थान से बंदूक चलाई गई थी, उस स्थान पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, यह आरोपी के खिलाफ मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत हो सकता है, लेकिन यह मानना कानून की गलती है कि निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पर है।

परिस्थितियाँ। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत जो भी बल एक अनुमान उत्पन्न होता है

दीवानी या कम गंभीर आपराधिक मामलों में हो सकता है, हत्या के मुकदमे में यह निर्दोषता की प्रमुख धारणा की तुलना में बेहद कमजोर है।

46. गोविंदा रेड्डी बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन किया है। मैसूर राज्य [ए. आई. आर 1960 एस. सी. 29: 1960 सी. आर. आई. एल. जे. 137] जहाँ विद्वान न्यायाधीशों ने हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम में निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया। एम. पी. राज्य [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343: 1953 क्रि एल. जे. 129] गोविंद में अनुपात [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343: 1953 ए. आई. आर. पैरा 5, पी. में उद्धृत सी. आर. आई. एल. जे. 129] 30 गोविंदा रेड्डी में रिपोर्ट [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 29: 1960 क्रि एल. जे. 137] हैं:

वेंकटेश @चंद्रा और ए. एन. आर. ईटीसी. वी. कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

" 5 ..... 10 ..... ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, परिस्थितियाँ [जो अपराध के निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं] पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना। इसके अलावा, परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़ दिया जाए।

साबित करने के लिए। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह [दिखाया जाना चाहिए] कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा [किया गया] होना चाहिए। [जैसा कि हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम में देखा गया है। एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1952

पीपी पर एससी 343। 345-46 , पैरा 10।] "

मोहन लाल पंगासा बनाम में भी इस न्यायालय ने इसी सिद्धांत का पालन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 607:

1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 643: ए. आई. आर 1974 एस. सी. 1144] "

निचली अदालत ने अपने दिनांकित 30.09.2010 के सजा के आदेश में कहा कि गिरोह के सदस्यों के खिलाफ लगभग 111 मामले दर्ज थे। हालाँकि, जैसा कि पहले कहा गया है, आरोप पत्र आदेश, बयान या आदेश के रूप में एक भी दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपराधों, संख्याओं और अपराधों की धाराओं का विवरण देने वाला एक मात्र चार्ट। अपराधों और अपराधों की प्रकृति को दोषसिद्धि के चरण में ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

33. पहली और चौथी परिस्थितियों का वजन

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए सिद्धांतों की कसौटी, हमारे विचार में, अभियोजन पक्ष इस हद तक बोझ का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा विस्थापित हो जाए। वास्तव में, दूसरी परिस्थिति की गैर-स्थापना के साथ, पहली परिस्थिति अपने आप में अपीलार्थियों की दिशा में इंगित नहीं करती है। किसी भी मामले में, पहली और चौथी परिस्थितियाँ पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। वे लगातार 588 नहीं बनाते हैं।

एक परिकल्पना की ओर ले जाने वाली एक श्रृंखला को अभियोजन द्वारा साबित करने की मांग की गई। इसलिए हम अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हैं और उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करते हैं। उन्हें रिहा कर दिया जाए जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

34. तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

देविका गुजराल

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)